

न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :- श्री अनिल कुमार वाष्णीय, आर. ए. एस.

अपील संख्या:- 06/2015 (75 एल. आर. एक्ट)

आरसीएमएस संख्या :- 2015/00009

उनवान

लाखन सिंह पुत्र जंगी जाति जाटव निवासी ग्राम गढी तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

राज0 सरकार जरिये जिला कलक्टर, भरतपुर।

..... रेस्पोजेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय दिनांक 07.02.2014 प्रकरण संख्या 13/2014 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपवास उनवानी लाखन सिंह बनाम सरकार।

अभिभाषकगण :-

1. अधिवक्ता अपीलांट श्री दुलीचन्द शर्मा उपस्थित।
2. राजकीय अभिभाषक श्री मोहन सिंह राणा उपस्थित।

निर्णय

दिनांक-29.08.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/अपीलाण्ट ने प्रार्थना पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम गढी बाबत स्वयं के गैर खातेदारी इन्द्राज से खातेदारी दिये जाने बाबत एक प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपवास के न्यायालय में प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र बाद सुनवाई, अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रार्थी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोजेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिये कि अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी, रूपवास विधि विरुद्ध एवं पत्रावली के तथ्यों के विपरीत होने के कारण काबिल खारिजी है। सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि विवादित भूमि पर अपीलाण्ट के पिता संवत 2010 से पूर्व से गैर

मौरूसी खातेदार दर्ज थे तथा संवत् २०१२ में ही कानूनन खातेदार काश्तकार हो गये। परन्तु भूमि में खातेदारी देने के बजाय गैर कानूनी तरीके से उसे कस्टोडियन दर्ज करते हुए अपीलान्ट को गैर खातेदार दर्ज कर दिया गया। अपीलान्ट के पिता की मृत्यु के बाद अपीलान्ट को विरासत से विवादित आराजी पर गैर खातेदारी दर्ज किया गया है, जो पिछले ६५ साल से गैर खातेदार दर्ज होते हुए चला आ रहा है। जबकि अपीलान्ट को बहुत पहले विवादित आराजी पर खातेदार दर्ज कर देना चाहिए था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसा ना करते हुए, अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र को खारिज करने में कानूनी भूल की है। अपीलान्ट अनुसूचित जाति का बी०पी०एल श्रेणी का अति गरीब व्यक्ति है तथा वह गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है। अपीलान्ट ने संवत् २०१० लगायत २०७० तक का सारा राजस्व अभिलेख प्रस्तुत किया है, जो पत्रावली पर मौजूद है। इसके बाबजूद भी संवत् २०१२ की जमाबन्दी ना पेश करने का बहाना लगाकर प्रार्थना पत्र खारिज करने में कानूनी भूल की है। अपीलान्ट खातेदारी प्राप्त करने के सभी मापदंडों का पालन करता आया है। अपीलान्धीन आदेश प्राकृतिक न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्त के खिलाफ है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्धीन आदेश पारित करने से पूर्व उन्हें सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर, अपीलान्धीन आदेश को निरस्त कर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोजेण्ट ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय ने सभी तथ्यों की जाँच उपरान्त ही अपीलान्धीन आदेश पारित किया है, जो विधि अनुरूप सही है। विवादित आराजी गैर मुमकिन रास्ता की भूमि है, जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है एवं ऐसी भूमि पर किसी को कोई खातेदारी अधिकार सृजित नहीं होते हैं। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।
5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अपीलान्ट द्वारा मुख्य रूप से विवादित आराजी में स्वयं के गैर खातेदारी इन्द्राज के स्थान पर खातेदार घोषित करने का अनुतोष चाहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी की किस्म गैर मुमकिन रास्ता होने के कारण दावा खारिज किया है। परन्तु विवादित समस्त भूमि रास्ता नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलान्ट विवादित भूमि पर गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड हैं। शास्वत रूप से कोई भी लम्बे समय तक गैर खातेदार दर्ज नहीं रह सकता है। विवादित आराजी पर अपीलान्ट व उनके पूर्वज संवत् २०१० से ताहाल तक गैर खातेदारी इन्द्राज रहे हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने इस बाबत् कोई परीक्षण नहीं किया जाकर मात्र तहसीलदार रूपवास की राय के आधार पर अपीलान्धीन आदेश पारित किया है, जिसमें स्वयं के न्यायिक विवेक का कतई प्रयोग नहीं किया गया है। अपीलान्धीन आदेश सकारण व विवेचनात्मक नहीं है। इसके अतिरिक्त यहाँ हम तहसीलदार, रूपवास को लापरवाह व कर्तव्य के प्रति उदासीन पाते हैं, जो प्रार्थी/अपीलान्ट के गैर खातेदारी

